6-1-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, शपथपत्र व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि प्रतिवादी सरकार ने वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम उपरेड़ा पटवार हल्का चौसला तहसील मांडल में स्थित होकर विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है जरिये इतलानामा न० 1110 दिनांक 13-8-13 के द्वारा आवेदन की आराजी न० 87 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 8 बिस्वा उ० प्र० भेजी राजकीय मानी हेतु आवंटित की जाने की कार्यवाही की गयी। जिसकी तायद प्रस्तुत खसरा गिरदावरी जमाबन्दी की नकल सम्वत 2070 से 2073 से होती है। विवादित आराजी न० 87 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिस तायद प्रस्तुत खसरा गिरदावरी नकल सम्वत 2070

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2071, 2072, में होती है प्रार्थीगण को उक्त आराजियात
काश्त करी। जिस पर ग्राम पंचायत को कोई
आपत्ति नहीं थी इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति
प्रमाण-पत्र जारी किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत
प्रमाण पत्र दिनांक 21.3.16
ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित आराजियात
से होती है जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थीगण से
पर करीब 40 वर्षों से कब्जा है तथा ग्राम पंचायत को कोई
दावेदार भी की जाती है तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव
आपत्ति नहीं है जिसकी ताईद ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर प्रार्थीगण
की प्रति से होती है। विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण
का [illegible] की हैसियत से कब्जा है इस बाबत
नियमन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण
का विवादित आराजियात पर नाजायज कब्जा है। जिसकी
ताईद प्रस्तुत खसरा परिवालीन गिरदावरी संवत 2043,
2055, 2063, 2066, 2068, 2070, 2071, 2072, से
होती है। वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त है इस प्रकार
प्रस्तुत दस्तावेजों, वाद पत्र में कथित तथ्यों से उक्त आधार
विवादित आराजियात बिलानाम काबिल काश्त है तथा
बिलानाम काबिल काश्त होने से प्रार्थीगण का विगत
संवत 2043 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।
कब्जा होने से प्रार्थीगण विवादित आराजियात
का खातेदार काश्तकार घोषित होना चाहता है। ताकि
तहसीलदार द्वारा बार-बार धारा 91 L.R. Act
की कार्यवाही नहीं कर सके। इस बाबत प्रतिवादी
की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...

कि वादीगण का प्रकरण [illegible] के आधार पर न तो प्रतिवा० के अधिकारी है। क्योंकि अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी बेदखल किया जाकर रहा है। तथा धारा 91 L.R.Act के तहत कार्यवाही होने मात्र से वादीगण स्वत: खातेदार काश्तकार नहीं हो जाते। धारा 80 का भू०रा० नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस कारण वादीगण किसी प्रकार की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र के दौरान तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो करीब 30 वर्ष से चला आ रहा है इसी कारण विवादित आराजियात का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हलका [illegible] तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं० 87 रकबा (बीघा) बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी इन्द्राज हक में वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—82/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1—श्री रामेश्वर पिता नैनू कुमावत, उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील मांडलजिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2—श्री बालू पिता नैनू कुमावत, उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील मांडल

3—श्री पारस पिता नैनू कुमावत, उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील मांडल

4—श्री डालू पिता नैनू कुमावत, उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील मांडल

————वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादी

———

वादीगण की ओर से श्री पवन शर्मा, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री नायब तहसीलदार, मांडल, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 6.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 87 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें।

(देबीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 6.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा